

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड :: नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/पीजीपी/05014/ईपीएफ-आरओआई/2018-2019

23 अक्टूबर, 2019

परिपत्र

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य खाते के लिए
ब्याज दर की घोषणा

ईपीएफओ ने अपने परिपत्र सं. इन्वेस्ट.1/3(2) 133/आरओआई/2018-19/5519, दिनांक 27.09.2019 के तहत घोषणा की कि श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(1) के तहत वर्ष 2018-19 के लिए योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में 8.65% की दर से ब्याज जमा करने के केंद्रीय सरकार के अनुमोदन की सूचना दी है।

(हस्ताक्षर)

(एस.के. मीणा)

संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक)

- सूचना पट्ट

- शाखा कार्यालय

✓ - एसटीसी की आधिकारिक वेबसाइट

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.: NEW DELHI
PERSONNEL DIVISION

STC/CO/PERS/PGP/05014/EPFO-ROI/2018-2019

October 23, 2019

CIRCULAR

Subject: Declaration of Rate of interest for the
Employees' Provident Fund Members Account

EPFO, vide its Circular No. Invest.I/3(2) 133/ROI/2018-19/5519 dated 27.09.2019, declared that the Ministry of Labour and Employment, Govt. of India, has conveyed the approval of the Central Government granted under Para 60(1) of Employees' Provident Fund Scheme, 1952 to credit interest @ 8.65% for the Year 2018-19 to the account of each member of the Scheme.


(S.K. Meena)

Jt. General Manager (P)

— Notice Board

— Branch offices

✓ STC's Official Website